संचिका संख्या–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं०....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बेगूसराय।

पटना, दिनांक–

विषयः– **विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय्

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रू० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से षष्ठम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेगें। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

सम्प्रति कतिपय कारणों से CLTS पोर्टल के क्रियाशील नहीं रहने के कारण विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों का विवरण पोर्टल में अपलोड नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने तक सभी पात्र विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों को जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर रू० 25,000/– के Annuity Scheme का लाभ इस शर्त्त के साथ दिया जाय कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने पर बाल/किशोर श्रमिकों से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ अविलम्ब कर ली जायेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन/ एफ०आई०आर०
1	बेगूसराय	---	गौरव कुमार	01.12.2023	327/23
2		---	आदित्य कुमार	05.07.2024	374/24
3		---	रीतुराज	18.10.2024	336/24
4		---	मो० सोहेल	26.10.2024	586/24
5		---	सोनू कुमार	15.11.2024	205/24
6		---	मो० आबिद	22.02.2025	74/25
7		---	सिन्टु कुमार	24.04.2025	109/25
8		---	लालू कुमार	02.06.2025	144/25
9		---	अब्दुल हनान	22.09.2025	307/25
10		---	प्रियांशु कुमार	29.11.2025	286/23
11		---	विवेक कुमार	29.11.2025	356/25
12		---	राहुल कुमार	06.01.2026	02/26

13	बेगूसराय	---	संतोष कुमार	06.01.2026	**02/26**
14		---	प्रियांशु कुमार	06.01.2026	**02/26**
15		---	मो० मासूम	07.01.2026	**05/26**
16		---	प्रियांशु कुमार	20.03.2026	**75/26**
17		---	अमित साहू	20.03.2026	**75/26**
18		---	सन्नी कुमार	07.04.2026	**169/26**
19		---	दिलखुश कुमार	21.05.2026	**54/26**
20		---	मोहम्मद सहबाज	23.05.2026	**120/26**

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती ळें

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रूपये में	जिलाधिकारी / श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण
बेगूसराय	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	36341564587	SBIN0000032	20	20@25000	5,00,000/-	पत्रांक–1856, दिनांक–03.09.2026
कुल				**20**	**20@25000**	**5,00,000/– (पाँच लाख)**	

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन
ह०/–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं०........ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्रम अधीक्षक/श्रम अधीक्षक (अधिनियम), बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिलाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं०........ 5517 पटना, दिनांक– 15/9/26

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

श्रमायुक्त, बिहार